आयोग निषेध और आबकारी आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

शराना गौड़ा

05 जून 2007

(डॉ अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, न्यायाधिपतिगण)

आंध्रप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1968

धारा 45, पंरतुक-मालिक के वाहन का उपयोग प्रतिबंधित शराब ले जाने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था - वाहन का अधिहरण - उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि अपराध करने का आशय आपराधिक मनःस्थिति नही थी, अपास्त कर दिया - अभिर्निधारितः- पंरतुक के लोप/हटाने के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया - उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

प्रत्यर्थी की जीप को दिनांक 20.11.1994 को उसका मित्र स्वयं के उपयोग हेतु ले गया। बाद मे उसके ज्ञान में आया कि उक्त वाहन आबकारी अधिकरियों द्वारा जांचा गया और उक्त वाहन प्रतिबंधित शराब ले जाते हुए पाया गया, उक्त वाहन जब्त करने का निर्देश दिया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका इस आधार पर दायर की, कि वह वाहन का मालिक है और उसे इस बात की जानकारी नही थी कि उक्त वाहन प्रतिबंधित शराब ले जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया गया कि अपराध करने का आशय आपराधिक मनःस्थिति नही थी।

अपीलार्थी आबकारी प्राधिकारियों द्वारा यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश आबकारी अधिनियम 1968 की धारा 45 को पूर्णतया नजरअदांज कर दिया, क्योंकि इस स्तर पर अपराध करने का आशय कतई प्रासंगिक/सुसंगत नही था।

विचारणीय प्रश्न:- क्या अभियोजन को आपराधिक मनःस्थिति सिद्ध करना आवश्यक था।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया: कि उच्च-न्यायालय द्वारा आबकारी अधिनियम, 1968 की धारा 45 के परंतुक को हटाने के प्रभाव पर विचार नहीं किया जाना दर्शित होता हैं। जब उक्त परंतुक कानून का हिस्सा था तब अधिहरण की कार्यवाही प्रतिबंधित थी, यदि विचाराधीन संपत्ति के मालिक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या होने कि संभावना थी। उपर्युक्त स्थित तब प्रकट होती है जब अपराधी संपत्ति का मालिक नहीं था। अब उक्त परंतुक को हटाने के बाद स्थिति बदल

गयी। ऐसा दर्शित होता है कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू को ध्यान में नही रखा, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय पुष्टि किए जाने योग्य नहीं है और अपास्त किये जाने योग्य है। (पैरा 9)(938-ए,बी.)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1137/2002

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के रिट याचिका संख्या 27180/1999 में दिनांक 11.07.2002 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से: (देबोजीत बोराकाकाटी)(डी. भारती रेड्डी के लिए)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत के द्वारा दिया गया।

1. इस याचिका मे आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रिट याचिका 27180/ 1999 में दिये विवादित फैसले को चुनौती दी गयी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिस वाहन को आंध्रप्रदेश आबकारी अधिनियम 1968 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत दंडनीय अपराध करने लिए अर्थात् प्रतिषिद्ध शराब ले जाने के लिए जब्त किया गया था, वह प्रत्यर्थी को वापस दिये जाने का आदेश दिया गया।

2. प्रत्यर्थी द्वारा याचिका निम्न तर्को के आधार पर दायर की गयी:-

दिनांक 21.11.1994 को प्रत्यर्थी का एक करीबी दोस्त बनप्पा उक्त जीप को अपने उपयोग के लिए लेकर गया था और बाद मे प्रत्यर्थी को पता चला कि दिनांक 21.11.1994 को आबकारी अधिकारियों द्वारा वाहन की जांच की गयी और उन्हें वाहन में आईएमएल के दो कार्टन मिले, जिनमें प्रत्येक में 46 निप्स (छोटी बोतल) थे। उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या-02 (वर्तमान अपीलकर्ता संख्या -02) द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया था। प्रत्यर्थी ने उक्त अधिकारियों को बताया था कि वह कथित अपराध में शामिल नहीं था और उसे कथित अपराध किये जाने का कोई ज्ञान या सहमति नहीं थी और चूंकि वाहन का उपयोग किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया था। अतः जब्ती/अधिहरण की कार्यवाही समुचित नही है।

3. उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या-02 अर्थात वर्तमान याचिकाकर्ता संख्या-02 के द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा अपने वाहन को अंतरिम अभिरक्षा में दिये जाने की प्रार्थना को अपने आदेश दिनांक 07.01.1995 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद रिट याचिका संख्या 20291/ 1995 दिनांक 17.9.1995 में उच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के बाद और रूपये 48,000/- राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद प्रत्यर्थी को

वाहन की सुपुर्दगी दे दी गयी। तत्पश्चात् वर्तमान अपीलकर्ता संख्या-02 ने वाहन को जब्त/अधिहरण करने का निर्देश दे दिये।

4. प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता संख्या-02 और अपीलीय प्राधिकारी वर्तमान अपीलकर्ता संख्या-1 द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका इन आधार पर दायर की, कि प्रत्यर्थी (याची) वाहन मालिक था और उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वाहन का उपयोग प्रतिबंधित शराब ले जाने के लिए किया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका स्वीकार कर ली थी कि इसमें कोई आपराधिक मनःस्थिति शामिल नहीं थी।

5. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 45 को पूर्णतया नजरअदांज कर दिया क्योंकि उस स्तर पर आपराधिक मनःस्थिति का प्रश्न पूर्ण रूपेण से अप्रासंगिक था।

6. नोटिस की तामील के बावजूद प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

7. विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को आपराधिक मनःस्थिति के तथ्य को प्रमाणित करना आवश्यक था। इस संबध में अधिनियम की धारा 45 पर ध्यान देने की आवश्यकता थी।

मूलतः अधिनियम की उपधारा (2) में एक परंतुक था। उक्त परंतुक 1994, के आंध्र प्रदेश अधिनियम 4 के द्वारा प्रवर्तन दिनांक 26.11.1993 से हटा दिया गया था। उक्त परंतुक के लोप के बाद धारा 45 इस प्रकार हैः-

> "45 कुछ वस्तुओं को जब्ती/अधिहरण का दायित्वाधीन होनाः- जब भी कोई अपराध किया गया है, जो इस अधिनियम के तहत दडंनीय है, तो निम्न लिखित वस्तुओं जब्ती/अधिहरण के लिए उत्तरदायी होगें अर्थातः-
>
> (1) कोई मादक पदार्थ सामग्री, स्टील, बर्तन, औजार, उपकरण जिसके संबंध में या जिसके माध्यम से ऐसा अपराध कारित किया गया है।
>
> (2) खंड (1) के तहत अधिहरण के लिए उत्तरदायी किसी भी मादक पदार्थ के अलावा कानूनी रूप से आयातित, या परिवहनित, निर्मित, कब्जे में रखा गया, बेचा या साथ लाया गया कोई भी मादक पदार्थः और
>
> (3) कोई संबंधित पैकेट या कवर जिसमें खंड (1) और खंड (2) के तहत अधिहरण के लिए उत्तरदायी कुछ भी पाया जाता है और ऐसे संबंधित पैकेट या कवर और कोई जानवर,

वाहन, यान, जहाज का बेड़ा या सामान ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अन्य कोई साधन।"

8. परंतुक जिसको हटा दिया गया है वह इस प्रकार हैः-

"परन्तु कि, यदि खंड 3 में विनिर्दिष्ट कुछ भी, जो अपराधी की संपत्ति नही है, तो उसे जब्त नही किया जाएगा यदि उसके मालिक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या होने की संभावना थी"

9. परंतुक के लोप के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया दर्शित होता है। जब परंतुक कानून का हिस्सा था तो यह प्रावधान था कि धारा 45 के खंड (3) में निर्दिष्ट कोई भी चीज जो अपराधी की संपत्ति नहीं है, उसे जब्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके मालिक के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या होने की संभावना थी। अतः उस स्तर पर अधिहरण वर्जित था, यदि विचाराधीन संपत्ति के मालिक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था या होने कि संभावना थी। यह स्थिति तब लागू होती थी जब अपराधी उक्त संपत्ति का मालिक नही था। किंतु परंतुक के हटने के पश्चात् स्थिति परिवर्तित हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू को ध्यान में नही

रखा। इसलिए उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपुष्टिकारक और अपास्त किये जाने योग्य है।

10. अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी **शिखा सिंघल** (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।